मध्यप्रदेश शासन

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमांक एफ. 13 (3) 88/49-10 भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 1988

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—लोकायुक्त संगठन/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अभियोजन के प्रकरणों में शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारियों का निलंबन.

कृपया इस विभाग के ज्ञापन दिनांक 12/2/15/प्रसको/एक, दिनांक 15-10-1985 का अवलोकन करें, जिसमें राज्य शासन के इस निर्णय को आपको सूचना दी गई थी कि भ्रष्ट आचरण के संबंध में म. प्र. लोकायुक्त अथवा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन के लिये न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित शासकीय/अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों को बिना किसी अपवाद के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए. यह बात ध्यान में लाई गई है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार निलंबित एक शासकीय अधिकारी को जिसके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, विभाग द्वारा उसको निलंबन से बहाल कर एक संवेदनशील पद पर पदस्थ किया गया. शासन इस संबंध में निर्देशित करता है कि शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अथवा अनैतिकता विषयक ऐसे गंभीर मामलों में विशेषत: जब वे न्यायालय में चल रहे हो, नियमों विनियमों में शिथिलता उचित नहीं समझी जानी चाहिए, तथा संवेदनशील पदों पर शंकास्पद पृष्ठभूमि के अधिकारियों की पदस्थापना न की जाए.

अत: आपसे निवेदन है कि कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे और किसी भी प्रकार का शिथलीकरण न किया जावे.

हस्ता./
(आर. सी. श्रीवास्तव
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.